*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०नि०–02–05/2017 40 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–20/8/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर Pumping Plant में Sub Pump set, VT Pump set, C/F Pump set आदि के अधिष्ठापन हेतु कुल ₹291.86730 लाख (दो करोड़ एकानवे लाख छियासी हजार सात सौ तीस रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹145.93365 लाख (एक करोड़ पैंतालीस लाख तिरानवे हजार तीन सौ पैंसठ रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद के पत्रांक– 522, दिनांक– 12.03.2018 तथा नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना के पत्रांक– 3662, दिनांक– 16.05.2018 द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित स्थानों पर Pumping Plant में Sub Pump set, VT Pump set, C/F Pump set आदि के अधिष्ठापन हेतु राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत स्तम्भ– 3 में अंकित स्थानों पर Pumping Plant में Sub Pump set, VT Pump set, C/F Pump set आदि के अधिष्ठापन की योजनाओं के लिए स्तम्भ– 4 के अनुरूप कुल ₹291.86730 लाख (दो करोड़ एकानवे लाख छियासी हजार सात सौ तीस रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹145.93365 लाख (एक करोड़ पैंतालीस लाख तिरानवे हजार तीन सौ पैंसठ रु०) मात्र स्तम्भ– 5 के अनुरूप नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
1.	नगर निगम, पटना	PFR for Supply, Installation & Commissioning of 2X270HP Non Clog Submersible pump set at BRJP Drainage pumping plant, saidpur.	248.89070	124.44535	124.44535
2.		PFR of Supply, Installation & Commissioning of 240HP C/F Pump set at PMC drainage pumping plant, Rampur.	42.97660	21.48830	21.48830
		कुल योग	**291.86730**	**145.93365**	**145.93365**

G:\Kamlesh\Section - 2 (18-19)\GO 2018-19\GO_ Nala.doc

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹145.93365 लाख (एक करोड़ पैंतालीस लाख तिरानवे हजार तीन सौ पैंसठ रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

2. योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद, पटना द्वारा कराया जायेगा।

3. स्वीकृत कुल ₹145.93365 लाख (एक करोड़ पैंतालीस लाख तिरानवे हजार तीन सौ पैंसठ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना द्वारा निकासी के उपरांत राशि का हस्तांतरण प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना को कर दी जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जायेगा।**

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रुप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/ वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. स्वीकृत राशि ₹145.93365 लाख (एक करोड़ पैंतालीस लाख तिरानवे हजार तीन सौ पैंसठ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2215021910102**, विषय शीर्ष– 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) **योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद, पटना द्वारा किया जाएगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/ना०नि०–02–05/2017 के पृष्ठ सं०– 41/टि० पर दिनांक– 13/08/2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 41/टि० पर दिनांक– 14/8/2018 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.08.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–05/2017 40 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 20/8/18

प्रतिलिपि:– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.08.18

सरकार के विशेष सचिव।

G:\Kamlesh\Section - 2 (18-19)\GO 2018-19\GO_ Nala.doc